कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक–री –1/भू. अ./2021 718 खण्डवा, दिनांक–18.2.2021

प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–4 सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक 0013/अ–82/20–21 ग्राम जावर तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–4 सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा–4 सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक री –1/भू. अ./2021 719 खण्डवा, दिनांक–18.2.2021

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा–4 सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. कार्यपालन यंत्री नर्मदा संभाग कमांक–25, नर्मदा नगर की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय कार्यपालन यंत्री नर्मदा संभाग कमांक–25, नर्मदा नगर द्वारा वहन किया जावेगा ।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा–4 सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

4. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम जावर की चौपाल पर

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय– कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / 0013 / भू-अर्जन / 2021 खरगोन, दिनांक 15-02-2021

// अधिसूचना //

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक– 25, नर्मदानगर, जिला–खण्डवा द्वारा "जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर–02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पंहुच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक– 30 सन् 2013)" के अध्याय 2 (अ) की धारा– 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबधित होने के कारण म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक– एफ16–15(1)/2014–सात–2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं **अनय द्विवेदी, कलेक्टर जिला– खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन,** विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक– 09/2014 के बिन्दु–10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय– 2(अ) की धारा– 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :–

अ.क.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
01	खण्डवा	खण्डवा	57	जावर	1.047	जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर–02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पंहुच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु

नोट :–

1– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

2– उक्त भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक– 25, नर्मदानगर, जिला–खण्डवा** के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला– खण्डवा (म.प्र.)